

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1178(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित -भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "राजस्थान" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"राजस्थान"		
(1)	सरकार के मुख्य सचिव	पे मैट्रिक्स में लेवल 17
(2)	अध्यक्ष, राजस्व मंडल	पे मैट्रिक्स में लेवल 17
(3)	अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय ट्रिब्यूनल	पे मैट्रिक्स में लेवल 17
(4)	अपर मुख्य सचिव एवं पदेन महा निदेशक जनरल, एचसीएम आरआईपीए	पे मैट्रिक्स में लेवल 17
(5)	अपर मुख्य सचिव	पे मैट्रिक्स में लेवल 17
(6)	कृषि उत्पादन आयुक्त	पे मैट्रिक्स में लेवल 17
(7)	सरकार के प्रधान सचिव	स्तर 15 वेतन मैट्रिक्स में
(8)	अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड	स्तर 15 वेतन मैट्रिक्स में
(9)	निदेशक, एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान	स्तर 15 वेतन मैट्रिक्स में
(10)	प्रधान आवासीय आयुक्त	स्तर 15 वेतन मैट्रिक्स में
(11)	सरकार के सचिव	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(12)	संभागीय आयुक्त	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(13)	आयुक्त, विभागीय जांच	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(14)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	पे मैट्रिक्स में लेवल 14

(15)	सदस्य, राजस्व मंडल	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(16)	परिवहन आयुक्त	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(17)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(18)	आयुक्त, श्रम	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(19)	आयुक्त, कृषि	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(20)	आयुक्त, आबकारी	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(21)	आयुक्त, उद्योग	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(22)	महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं टिकट	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(23)	आयुक्त, पर्यटन	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(24)	सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(25)	आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(26)	आयुक्त, कौशल, रोजगार और उद्यमिता	पे मैट्रिक्स में लेवल 14
(27)	आयुक्त, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर	पे मैट्रिक्स में लेवल 14"

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में राजस्थान के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"राजस्थान"	
(1)	सरकार के विशेष सचिव
(2)	सरकार के संयुक्त सचिव
(3)	निपटान आयुक्त एवं पदेन निदेशक, समेकन
(4)	जिला कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
(5)	निदेशक, वाटरशेड विकास और मिट्टी संरक्षण
(6)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
(7)	निदेशक, महिला एवं बाल विकास
(8)	निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि
(9)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
(10)	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर
(11)	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क
(12)	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

(13)	सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग
(14)	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(15)	निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग
(16)	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
(17)	आयुक्त, मध्याह्न भोजन
(18)	आयुक्त, रोजगार गारंटी स्कीम
(19)	निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
(20)	आयुक्त, उपनिवेशन
(21)	अपर आयुक्त, (निवेश और अप्रवासी भारतीय)
(22)	निदेशक, समेकित बाल विकास स्कीम
(23)	निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग
(24)	निदेशक, जनजातीय मामले
(25)	अपर मुख्य चुनाव अधिकारी
(26)	निदेशक, कॉलेज शिक्षा
(27)	निदेशक, अशक्तता
(28)	निदेशक, बागवानी विभाग
(29)	आयुक्त, स्थानीय स्वयं सरकार विभाग"

[फा. सं. 11031/02/2015-अ.भा.से.-II (ख)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1	1062 (अ)	10.11.2016

NOTIFICATION

New Delhi, 27th December, 2016

G.S.R. 1178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Rajasthan** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
 - in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "Rajasthan" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“RAJASTHAN		
(1)	Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
(2)	Chairman, Board of Revenue	Level 17 in the pay matrix
(3)	Chairman, Rajasthan Civil Service Appellate Tribunal	Level 17 in the pay matrix
(4)	Additional Chief Secretary & Ex-officio Director General, HCM RIPA	Level 17 in the pay matrix
(5)	Additional Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
(6)	Agriculture Production Commissioner	Level 17 in the pay matrix
(7)	Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
(8)	Chairman, Rajasthan Tax Board	Level 15 in the pay matrix
(9)	Director, HCM Rajasthan State Institute of Public Administration	Level 15 in the pay matrix
(10)	Principal Resident Commissioner	Level 15 in the pay matrix
(11)	Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
(12)	Divisional Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(13)	Commissioner for Departmental Enquiries	Level 14 in the pay matrix
(14)	Commissioner, Commercial Taxes	Level 14 in the pay matrix
(15)	Member, Board of Revenue	Level 14 in the pay matrix
(16)	Transport Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(17)	Registrar, Cooperative Societies	Level 14 in the pay matrix
(18)	Commissioner, Labour	Level 14 in the pay matrix
(19)	Commissioner, Agriculture	Level 14 in the pay matrix
(20)	Commissioner, Excise	Level 14 in the pay matrix
(21)	Commissioner, Industries	Level 14 in the pay matrix
(22)	Inspector General, Registrations & Stamps	Level 14 in the pay matrix
(23)	Commissioner, Tourism	Level 14 in the pay matrix
(24)	Member, Rajasthan Tax Board	Level 14 in the pay matrix
(25)	Commissioner, Rural Development & Panchayati Raj	Level 14 in the pay matrix
(26)	Commissioner, Skill, Employment and Entrepreneurship	Level 14 in the pay matrix
(27)	Commissioner, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Jaipur	Level 14 in the pay matrix”

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Rajasthan the following shall be substituted,—

“RAJASTHAN	
(1)	Special Secretary to Government
(2)	Joint Secretary to Government
(3)	Settlement Commissioner & ex-officio Director of Consolidation
(4)	District Collector & District Magistrate
(5)	Director, Watershed Development & Soil Conservation
(6)	Director, Secondary Education
(7)	Director, Women & Child Development

(8)	Director, State Insurance & Provident Fund
(9)	Chief Executive Officer, Zila Parishad
(10)	Additional Commissioner, Commercial Taxes
(11)	Director, Information & Public Relations
(12)	Director, Department of Information Technology and Communication
(13)	Secretary, Rajasthan Public Service Commission
(14)	Director, Social Justice & Empowerment Department
(15)	Director, Mines & Geology Department
(16)	Mission Director, National Health Mission
(17)	Commissioner, Mid-Day -Meal
(18)	Commissioner, Employment Guarantee Scheme
(19)	Director, Elementary Education
(20)	Commissioner, Colonization
(21)	Additional Commissioner (Investment and NRIs)
(22)	Director, Integrated Child Development Scheme
(23)	Director, Child Empowerment Department
(24)	Director, Tribal Affairs
(25)	Additional Chief Electoral Officer
(26)	Director, College Education
(27)	Director, Disabilities
(28)	Director, Horticulture Department
(29)	Commissioner, Local Self Government Department"

[F. No. 11031/02/2015- AIS-II (B)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 870(E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:-

Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016

Nishok
Kumar Paria

Digitally signed by
Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.28
21:27:43 +05'30'